धनौरी पी.जी. कॉलेज

धनौरी (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय

सम्बद्ध – श्री देव सुमन विश्वविद्यालय
बादशाही थौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड

Taking steps in the
Direction
of Reality

Prospectus
विवरणिका

DHANAURI P.G. COLLEGE

Dhanauri (Haridwar)
[Uttarakhand State Government Aided College]

Affiliated to : Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahi Thaul (Tehri Garhwal), Uttarakhand

9627165303, 6395000300
dcd.dhanauri@gmail.com
www.dhanauricollege.ac.in

₹ 300/-

महाविद्यालय परिचय

सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्।
अहर्यत्वादन र्ध्यत्वादवतयत्वाच्च सर्वदा।।

"सब द्रव्यों में विद्यारूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हारा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं होता।"

विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी हरिद्वार में मात्र 18 किमी० दूर हरिद्वार–सहारनपुर मार्ग पर गंगा नहर की प्रवाहित हो रही अविरल धारा के किनारे प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच धनौरी ग्राम में अक्षांश–29.85 देशान्तर 77.88 पर स्थापित यह महाविद्यालय हरिद्वार जिले के पुराने महाविद्यालयों में से एक है और विगत 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरिद्वार की शिक्षा नगरी कही जाने वाली रुड़की से मात्र 10 मिनट से सड़क मार्ग द्वारा महाविद्यालय तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास व प्रचार–प्रसार करने, क्षेत्र के छात्र–छात्राओं में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक चेतना पैदा कर उनका चारित्रिक निर्माण करने के उद्देश्य से 70 वर्ष पहले सैनी विद्यार्थी संघ ने वर्ष 1951 में जो संकल्प लिया था उसी को साकार करने के उद्देश्य से क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों और समाजसेवियों बाबू श्री तेलूराम सैनी जी (एम०एल०सी०) डॉ० पृथ्वी सिंह विकसित जी (पूर्व मंत्री), वैद्य श्री बलवीर सिंह जी, प्रधान श्री अमीर सिंह जी, बाबू मंगतराम जी, श्री चन्द्रकांत एडवोकेट जी, श्री न्यादर पुरी जी, श्री बाबूराम जी आदि ने मिलकर एक ट्रस्ट के माध्यम से वर्ष 1956 में नेशनल जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की जो विकास पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते हुए आज नेशनल इण्टर कॉलेज, धनौरी के रूप में समूचे घाड़ क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित और सुविख्यात है।

ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक विकास की यह यात्रा इसके पश्चात् भी अनवरत जारी रही और क्षेत्र में उच्च शिक्षा का अभाव देखते हुए नेशनल इण्टर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध समाजसेवी **स्व० डॉ० पृथ्वी सिंह विकसित जी** (पूर्व मंत्री) की कड़ी मेहनत से धनौरी डिग्री कॉलेज की स्थापना की। अपने स्थापना वर्ष 2004 में महाविद्यालय के कला संकाय को 7 विषयों, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग (चित्रकला) और भूगोल के साथ विश्वविद्यालय से विधिवत् मान्यता मिली और अगले ही वर्ष 2005 में महाविद्यालय ने प्रगति करते हुए गणित वर्ग और जीव विज्ञान वर्ग से भी विधिवत् मान्यता प्राप्त कर ली।

सत्र 2020–21 में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाही थौल (टिहरी गढ़वाल) से एम०ए० (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ड्राइंग एवं पेन्टिंग तथा भूगोल) एम०एस–सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) विषयों में मान्यता प्राप्त कर ली गई।

डॉ० पृथ्वी सिंह विकसित जी द्वारा लगाये गये इस वटवृक्ष को वर्तमान में उनके सुपुत्र और हमारी प्रबंध समिति के माननीय सचिव श्री आदेश कुमार सैनी जी द्वारा निरंतर अथक प्रयासों से और विस्तारित किया जा रहा है। उनके प्रयासों से यह महाविद्यालय शासनादेश संख्या 1025/XXIV-C-2/2021/21(06)2021 के तहत स्वपोषित महाविद्यालय से अशासकीय महाविद्यालय के रूप में प्रोन्नत हो गया है। महाविद्यालय की यह प्रगति इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।

महाविद्यालय का उद्देश्य

धनौरी पी०जी० कॉलेज का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का सर्वांगीण विकास करना तथा उच्च शिक्षा को छात्र–छात्राओं को सुलभ कराना इस महाविद्यालय का उद्देश्य है। उच्च शिक्षा द्वारा छात्र–छात्राओं में ज्ञान और कौशल, नवीन नवाचारी एवं तकनीकी युक्त विभिन्न शिक्षण विधियों, विषय विशेषज्ञता युक्त दक्ष एवं अनुभवी मानव संसाधन, उत्कृष्ट अध्यापन कार्य, कुशल एवं दक्षतापूर्ण नेतृत्व तथा प्रशासनिक क्षमता का विकास करना है।

उच्च शिक्षा के द्वारा उत्कृष्ट पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, सम्यक खेलकूद गतिविधियों एवं सास्कृतिक क्रियाकलापों का उन्नयन, उन्नत पुस्तकालीय तथा प्रयोगशालीय सुविधाओं की उपलब्धता और छात्र–छात्राओं को नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक शैक्षिक परिपूर्णता युक्त व्यक्तित्व निर्माण करना ही महाविद्यालय का मूल उद्देश्य है।

"शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र क्षमता और भविष्य को आकार देता है।"

– डॉ० अब्दुल कलाम

हमारे प्रेरणा स्त्रोत

प्रतिपल महाविद्यालय के हितचिन्तक, संस्था की प्रगति के चहुँमुखी विकास के प्रतीक
समाज सेवी, शिक्षा प्रसार के अग्रगण्य, सादा जीवन उच्च विचार के पोषक
महाविद्यालय के संस्थापक महोदय

महाविद्यालय संस्थापक कीर्तिशेष डॉ0 पृथ्वी सिंह 'विकसित'

(पूर्व मंत्री–उत्तर प्रदेश सरकार)

5 जनवरी, 1932 से 22 जनवरी, 2014

जग–मग रहेंगे दीपक, तुम जो जला गये हो ।
रोशन रहेंगी राहें, तुम जो दिखा गये हो ।।

कर्म रहा जिनका धर्म, शिक्षा को पूर्ण समर्पण ।
उस मानव को नमन, प्रभु चरणों में अर्पण ।।

डॉ० कल्पना सैनी
सांसद, राज्यसभा (उत्तराखण्ड)

सत्यमेव जयते

सदस्य –
आवासन और शहरी कार्य विभाग संबंधी स्थायी समिति
परामर्शदात्री समिति, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड
हिंदी सलाहकार समिति (रेल मंत्रालय)

दिनांक : 25/05/23

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए **विवरणिका** प्रकाशित की जा रही है। इसके लिए विद्यालय प्रबन्धन को बहुत–बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विवरणिका न सिर्फ विद्यालयी क्रिया–कलापों व उसकी प्रगति का दर्पण होगी अपितु विद्यार्थियों के साथ–साथ सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी।

महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जा रही विवरणिका के सफल प्रकाशन हेतु महाविद्यालय परिवार को मेरी ओर से शुभकामनायें ।

(डॉ० कल्पना सैनी)

प्राचार्य
धनौरी पी०जी० कालेज
धनौरी (हरिद्वार)

538, आवास विकास कॉलोनी, रुड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड–247667, फोन–01332–297772
सी–303, स्वर्ण जयंती सदन, डॉ०बी०डी० मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011–23311211
मोबाइल : +91-9837944497, 9013181911, 9013181912
ई–मेल : kalpanasaini.mprs@sansad.nic.in, dr. kalpana.saini/@gmail.com

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199

Sri Dev Suman Uttarakhand University

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249199

प्रो० एन०के० जोशी
Prof. N.K. Joshi
कुलपति
Vice Chancellor

Tel. : 01376 - 254110 (O)
Fax : 01376 - 254110
Website : www.sdsuv.ac.in
Mail Id : sdsuv123@gmail.com

Ref. No. : SDSUV/Memo **Dated : 17 / 05 / 2023**

संदेश

हर्ष का विषय है कि **धनौरी पी०जी० कॉलेज, धनौरी, हरिद्वार** द्वारा महाविद्यालय की **"विवरणिका"** का प्रकाशन किया जा रहा है।

महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली **"विवरणिका"** में विद्यार्थियों को समस्त प्रवेश सम्बन्धी जानकारी देने के साथ–साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

मैं, धनौरी पी०जी० कालेज, धनौरी, हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली **"विवरणिका"** की भव्यता एवं सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनायें ज्ञापित करता हूँ।

मंगलकामनाओं सहित!

प्रो० (एन०के० जोशी)
कुलपति।

प्राचार्य
धनौरी पी०जी० कालेज, धनौरी
हरिद्वार।

सचिव महोदय की कलम से

शिक्षा और ज्ञान अभाव में व्यक्ति अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके आत्मविश्वास के निर्माण और व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन की आत्मनिर्भरता और सफलता के लिए बेहतर शिक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व **हमारे पूज्य पिताजी स्व० डॉ० पृथ्वी सिंह विकसित जी** ने क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ मिलकर शैक्षणिक उद्देश्य से इस ट्रस्ट को स्थापित किया था। आज हम उसी उद्देश्य और संकल्प को लेकर सेवाभाव से आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध हैं और निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्य में हमें क्षेत्र और समाज के लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम उन सबके आभारी हैं। क्षेत्र के लोगों का सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आज हम इस ग्रामीण क्षेत्र में बालक–बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक से लेकर उच्च स्तर तक स्नातक और परास्नातक की सभी शिक्षा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान और कृषि वर्ग में शिक्षा प्रदान करने का कार्य योग्य, कुशल और अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से निकट भविष्य में हम मेडिकल का पाठ्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक रोज़गार पूरक पाठ्यक्रम होटल मेनेजमेंट, पत्रकारिता, योगा में पी०जी० डिप्लोमा कोर्स को आरम्भ किया है। सभी छात्र–छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए हम अपने सभी संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियों को यथा खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं को भी बढ़ावा देते हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं है बल्कि छात्र–छात्राओं में संस्कार, ज्ञान कौशल और नवोन्मेष के प्रति वह अभिरूचि उत्पन्न करनी है जिससे कि जीवन में वें आत्मनिर्भर बनकर अपने दूरगामी लक्ष्य को हासिल कर सकें तथा जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। हमारे नव युवा हमारे समाज और राष्ट्र के कर्णधार हैं। उनकी सोच को अधिक तर्कसंगत, बौद्धिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित करना हमारा लक्ष्य है। हमारे संस्थानों से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर वें अपने क्षेत्र, समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें यही हमारी शुभकामना हैं।

आदेश कुमार
(सचिव–प्रबन्ध समिति)

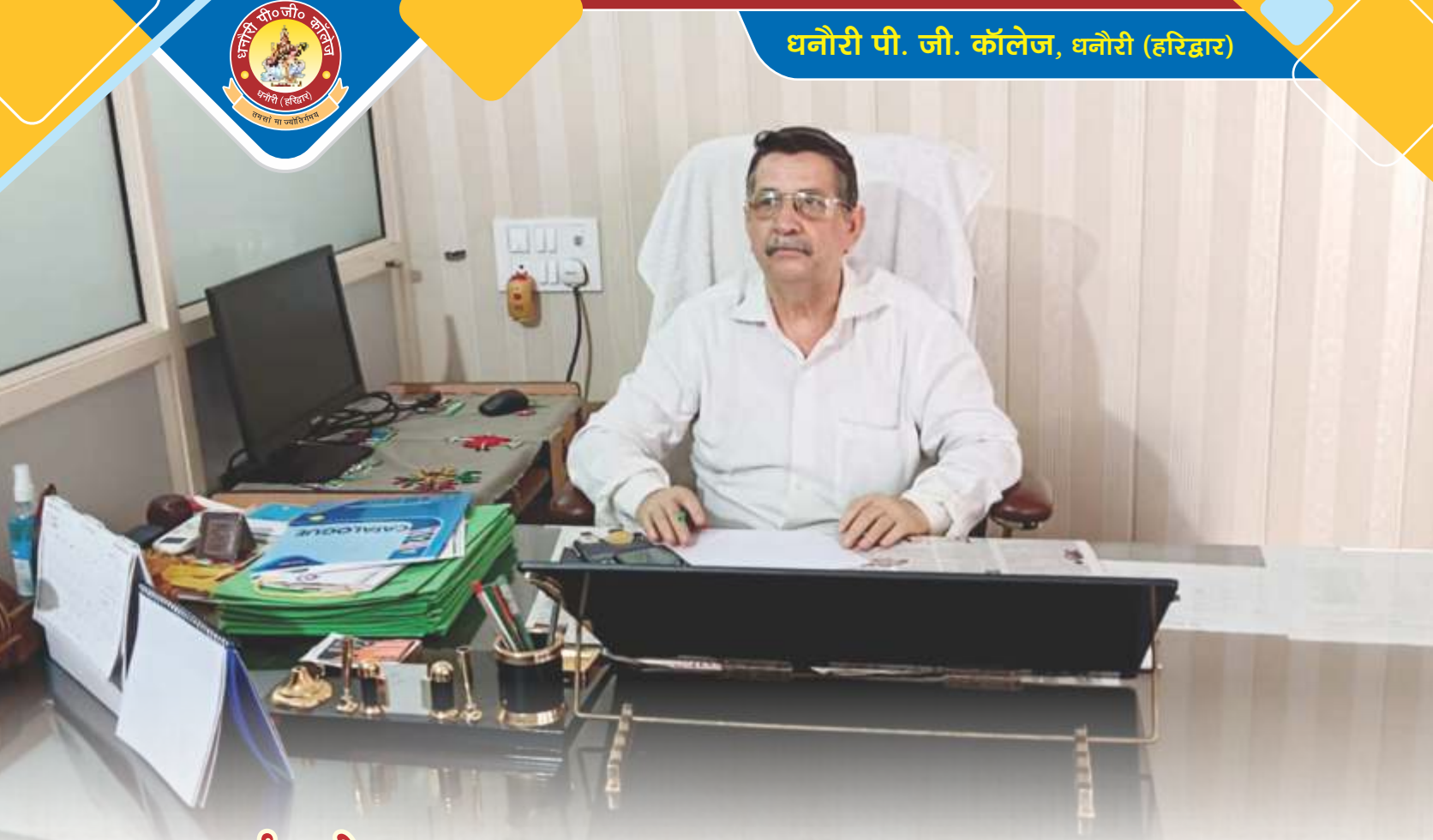

प्राचार्य महोदय की कलम से...

आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए विगत कई वर्षों की भांति इस नवीन शैक्षणिक सत्र में भी हमारा महाविद्यालय शिक्षा की महत्ता और गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी तरीके से स्थापित करने और क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए सदा संकल्पित है। उच्च प्रशिक्षित प्राध्यापकों की टीम जिस तरह से हमारे छात्र–छात्राओं को **ज्ञान, सदाचार और अनुशासन** के साथ **नवाचार** की ओर उन्मुख कर रही है वह निश्चित ही युवाओं को जागरुक करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी साबित हो रही है।

हमारा संकल्प है **"जागृति, स्वावलम्बन और चरित्र निर्माण"** और इस संकल्प की प्राप्ति हेतु हम नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते हुए छात्र–छात्राओं में उच्च शैक्षिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करते हुए उन्हें उच्च प्रशिक्षित करने हेतु प्रयासरत हैं। हम शिक्षा के वैश्विक मानदण्डों के साथ तालमेल बनाते हुए नवोन्मेष के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस यात्रा में हम अपने शिक्षक–शिक्षिकाओं और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, अभिभावकों व छात्र–छात्राओं द्वारा दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभारी हैं।

नव प्रवेशित छात्र–छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनायें।

डॉ० सुमन पाल सिंह सिरोही
(प्राचार्य)

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र–निर्माण हो, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके – स्वामी विवेकानन्द

– महाविद्यालय में उपलब्ध अनुदानित पाठ्यक्रम –

कला संकाय

स्नातक कोर्स (बी०ए०)

प्रत्येक विषय में 60 सीटें

1. हिन्दी (साहित्य)
2. अंग्रेजी (साहित्य)
3. समाजशास्त्र
4. राजनीति विज्ञान
5. अर्थशास्त्र
6. ड्राइंग एवं पेन्टिंग
7. भूगोल
8. शिक्षाशास्त्र
9. इतिहास
10. संस्कृत
11. गृह विज्ञान

स्नातकोत्तर कोर्स (एम०ए०)

प्रत्येक विषय में 30–30 सीट

1. हिन्दी (साहित्य)
2. अंग्रेजी (साहित्य)
3. समाजशास्त्र
4. राजनीति विज्ञान
5. अर्थशास्त्र
6. ड्राइंग एवं पेन्टिंग
7. भूगोल

विज्ञान संकाय

स्नातक कोर्स (बी०एस सी०)

प्रत्येक विषय में 60 सीटें

1. भौतिक विज्ञान
2. गणित
3. जन्तु विज्ञान
4. वनस्पति विज्ञान
5. रसायन विज्ञान

स्नातकोत्तर कोर्स (एम०एस सी०)

1. भौतिक विज्ञान (25 सीट)
2. रसायन विज्ञान (40 सीट)
3. गणित (25 सीट)
4. जन्तु विज्ञान (25 सीट)
5. वनस्पति विज्ञान (25 सीट)

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

डिप्लोमा कोर्स (प्रत्येक 60–60 सीट)

1. PGD In Journalism and Mass Communication (**योग्यता स्नातक उत्तीर्ण**)
2. PGD in Yoga Holestic Health & Life Style Management (**योग्यता स्नातक उत्तीर्ण**)
3. Diploma in Hotel Management (**योग्यता 10+2 उत्तीर्ण**)

छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण–पत्र / प्रपत्र

1. **हाईस्कूल एवं इन्टर की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि**
2. **चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि**
3. **स्थानांतरण पत्र की मूल प्रतिलिपि। (टी०सी०)**
4. **जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि**
5. **विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, कारगिल शहीद आदि का प्रमाण पत्र**
6. **आधार कार्ड की छायाप्रति**
7. **मूल निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति**
8. **आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति**
9. **तीन रंगीन पासपोर्ट साईज़ फोटो**

नोट :

- प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को उपरोक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को आभा (ABHA) पोर्टल पर (https://healthid.ndhm.gov.in) स्वयं को पंजीकृत कर उसकी login id प्रवेश फार्म के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को digilocker (Academic Bank of Credit) पर (ABC id) का पंजीकरण कराकर उसकी login id महाविद्यालय में जमा करना होगा।

" नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। "

– स्वामी विवेकानन्द

– प्रवेश नियम –

1.1 विश्वविद्यालय के पत्रांक सं० **233/SDSUV/Exam/2023** दिनांक 9/5/2023 के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2023-24 (NEP के अन्तर्गत) समस्त छात्र–छात्राओं के प्रवेश **"समर्थ प्रवेश पोर्टल" https://ukadmission.samarth.ac.in** के माध्यम से किये जायेंगे। पोर्टल पर पंजीकरण हेतू छात्र–छात्रा के पास अपनी ई.मेल आईडी और मोबाइल फोन का होना अनिवार्य है।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। On Line/Off Line प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के On Line /Off Line प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा काउंसलिंग के उपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line/Off Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाण पत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 On Line /Off Line माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑन लाईन/ऑफ लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं प्रवेश समति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाईन/ऑफ लाईन (On Line/Off Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जायेगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप से प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गई अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जायेगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

1.8 सम्बन्धित संकयाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्ति संगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जायेगी।

1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जोकि निम्नवत है–

1. अनुसूचित जाति	19%
2. अनुसूचित जनजाति	04%
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	14%
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10% (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1. महिलायें	30%
2. भूतूपर्व सैनिक	05%
3. दिव्यांग	04%
4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जायेगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days.
(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
(iii) Waiving of domicile requirement.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क)	एन.सी.सी. 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अथ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(घ)	जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई बहन	20 अंक
(ड)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा/खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ण)	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम पर सदस्य होने पर	15 अंक

नोट–उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय मे प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु–

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त–

1. अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेगें (शैक्षणिक अवरोध की दशा में योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जोयंगे।)
2. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सतत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकि के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

3. भविष्य में यू.जी.सी. अथवा एन.एच.ई.क्यू.एफ. के माध्यम से उपरोक्त संबंध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यकता परिवर्तन किया जाना आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 श्री देवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष

परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय /परिसर में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जोकि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों के आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

शुल्क मुक्ति :

महाविद्यालय में निर्धन छात्र/छात्रा को पूर्ण अथवा अर्द्ध शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक शुल्क मुक्ति का प्रार्थना–पत्र दें। 15 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र अथवा अपूर्ण प्रार्थना पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र भरते समय संरक्षक अथवा अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र देना होगा अन्यथा शुल्क मुक्ति किसी दशा में नही दी जायेगी। शुल्क मुक्ति एवं शुल्क अर्धमुक्ति की सुविधा केवल उस समय तक रहेगी जब तक वे कक्षा में उत्तीर्ण होते रहेंगे। यदि विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण न हुई तो उनको दी हुई शुल्क मुक्ति की सुविधा वापस ले ली जायेगी।

शुल्क वापसी नियम

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्रा यह सुनिश्चित कर लें कि एक बार प्रवेश लेने के पश्चात अगर आप अपना प्रवेश निरस्त कराते हैं तो आपके द्वारा जमा शुल्क किसी दशा में वापिस नहीं होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क स्वंय जमा करना होगा।

परिचय–पत्र :

परिचय पत्र पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना फोटो चिपकाकर मुख्य अनुशासक / कार्यालयाध्यक्ष महोदय को देना होगा, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर के बाद कार्यालयाध्यक्ष महोदय छात्र/छात्रा को लौटा देंगे। छात्र/छात्रा को यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा। पुस्तकालय में परिचय पत्र दिखलाने पर ही पुस्तकें मिल सकेंगी। उन स्थानों और अवसरों पर भी जहाँ इस कॉलेज की छात्र/छात्रायें उपस्थित होने का अधिकार रखती है यह परिचय पत्र निरीक्षण हेतु छात्र/छात्रा के पास होना आवश्यक है। परिचय–पत्र यदा–कदा चैक होने पर ना पाया गया तो उचित दण्ड दिया जायेगा। यह परिचय–पत्र केवल एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। प्रत्येक विषय में छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, यही नियम सामान्य विषयों के सम्बन्ध में भी है, किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों या संतोषजनक कारणों के होने पर उस छात्र/छात्रा को (जिसकी उपस्थिति 60 प्रतिशत है) परीक्षा में अस्थाई रूप में बैठाया जायेगा, उसके पत्रादि कुलपति को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये जायेंगे। कुलपति के अनुमोदन के बाद ही परीक्षा दी जा सकेगी। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रायें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा नही दे सकेंगे। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की गणना निर्धारित तिथि से होगी। खो जाने पर 50 रु० अतिरिक्त देय करना होगा।

"खुद में वो बदलाव लाईये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"

– महात्मा गाँधी

– पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ –

पुस्तकालय सुविधायें (Library Facilities)

महाविद्यालय में लगभग 15,000 पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का एक विशालकाय पुस्तकालय है। संस्थागत छात्र/छात्राओं को एक समय में दो पुस्तकें 15 दिनों के अध्ययन के लिए दी जाती है। समय पर पुस्तक न लौटाने की स्थिति में एक रूपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से अर्थदण्ड लगाने की व्यवस्था है। एक सत्र के लिए एक विद्यार्थी को दो पुस्तकालय पत्रक दिये जाते हैं। विद्यार्थी से पत्रक खो जाने पर दोबारा आवेदन के साथ रु0 50/– शुल्क जमा करवाना होगा।

बुक बैंक के नियम

- बुक बैंक का ध्येय छात्र/छात्राओं का ज्ञानवर्धन है जो छात्र/छात्रायें पुस्तक क्रय करने में असमर्थ है वे इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं।
- बुक बैंक से पुस्तके प्राप्त करने के इच्छुक छात्र/छात्रायें अपना प्रार्थना पत्र यथाशीघ्र पुस्तकालयाध्यक्ष को दे देंगे। प्रार्थना पत्र में अभिभावक की मासिक आय, आश्रित प्राणियों की संख्या तथा अन्तिम दी हुई परीक्षा के प्राप्तांक लिखने होंगे।

अनुशासनात्मक मण्डल (Proctorial Board)

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु एक अनुशासनात्मक मण्डल प्रभावी ढंग से कार्य करता है। यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज की मान्य परम्पराओं एवं स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करता है अथवा अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो प्रोक्टोरियल बोर्ड उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने में सक्षम है।

उपस्थिति (Attendance)

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 1997 को जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को 75% उपस्थिति पूरी करनी होगी। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होगी, उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नही दी जायेगी।

नकल विरोधी नियम (Anti Copy Law)

विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को अलग दण्डित करने की भी व्यवस्था है।

सूचना पट्ट (Information Board)

कॉलेज की विभिन्न सूचनाओं एवं आदेशों को सूचित करने का केन्द्र सूचना पट्ट है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाओं को अवश्य पढ़े। सूचना पट्ट पर दी गयी सूचनायें ही वैधानिक रूप से मान्य होगी।

प्रशासनिक समितियाँ (Administrative Committees)

छात्र/छात्राओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय में विभिन्न प्रशासनिक समितियों का गठन किया जाता है जिसमें प्राध्यापकों के साथ–साथ विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाता है।

शिकायत पेटिका (Complaint Box)

छात्र–छात्रायें बिना किसी संकोच व भय के अपनी शिकायतें महाविद्यालय प्रशासन/प्रबन्धन तक पहुँचा सके, इस उद्देश्य से महाविद्यालय के परिसर में शिकायत पेटिका उपलब्ध करायी गयी है।

प्रयोगशाला (Laboratory)

महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सभी विषयों की प्रयोगशालाएं हैं। जहां पर विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने की सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्र–छात्राओं को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समायानुसार प्रयोगशाला सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य व प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रत्येक छात्र–छात्रा को गैस लैम्प की सुविधा उपलब्ध है। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्र–छात्रा से उपकरण के मूल्य के समान धनराशि वसूल की जाएगी।

एन०एस०एस० (N.S.S.)

छात्र/छात्राओं में समाजसेवा, श्रमदान, स्वास्थ्य सेवा स्वच्छता तथा प्रौढ़ शिक्षा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में रूचि को जागृत करने के लिए महाविद्यालय में एन०एस०एस० की छात्र एवं छात्रा इकाईयों का गठन किया जाता है, जिसमें बी०ए०, तथा बी०एस–सी० के विद्यार्थियों का मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है।

नोट–एक समय में एक विद्यार्थी केवल एक ही योजना में एन०सी०सी० अथवा एन०एस०एस० की गतिविधियों में भाग ले सकता है।

स्काऊट गाईड Rovers / Rangers

महाविद्यालय में हिन्दुस्तान स्काउट/गाइड के अन्तर्गत महाविद्यालय को रोवर्स/रेंजर्स की दो यूनिट की मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2020–2021 में पाँच दिवसीय (निपुण/प्रवीण) शिविर का आयोजन भी किया गया।

एण्टी रैगिंग सेल (Anti Ragging Cell)

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु रैगिंग स्कवॉड का गठन किया गया है। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं अभिभावक/संरक्षक द्वारा अलग–अलग दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महिला उत्पीड़न निषेध समिति (Women Cell)

महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी अर्थात छात्राओं के रूप में तथा कर्मचारी के रूप में महिलायें कार्यरत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु तथा महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है। जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। महाविद्यालय परिसर में अन्य किसी को भी उत्पीड़न महसूस हो तो वह इस समिति को सूचित कर सकता/सकती है।

खेल–कूद समिति (Sports Committee)

छात्र–छात्राओं के नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए खेल–कूद आवश्यक है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में खेल–कूद संचालित करने के लिए समिति गठित की गई है जो खेलकूद सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा कराती हैं। हर प्रकार के खेल का अभ्यास व संचालन खेल समिति के माध्यम से वर्ष भर होता है। कुशल खिलाड़ियों को प्रमाण–पत्र तथा पारितोषिक दिए जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति (Cultural Programme Committee)

छात्र–छात्राओं की समस्याओं के समाधान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति कार्यरत है इससे विद्यार्थी रोजगार जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग–निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

अभिभावक–शिक्षक संघ (Parents Teacher Association)

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया गया है ताकि छात्र–छात्राओं के भविष्य को लेकर अभिभावकों की अपेक्षा के अनुसार छात्र–छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके। संघ का उद्देश्य छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना भी है।

छात्र कल्याण समिति (Student Welfare Committee)

छात्र–छात्राओं की समस्याओं के समाधान एवं कल्याण कारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति कार्यरत है इससे विद्यार्थी रोजगार जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग–निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

आन्तरिक गुणवत्ता संवर्द्धन प्रकोष्ठ (IQAC)

महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के उद्देश्य से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है यह प्रकोष्ठ वर्ष 2022–23 से क्रियाशील है।

कॉलेज पत्रिका (College Magazine)

महाविद्यालय द्वारा कॉलेज पत्र–पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वयं रचित रचना को प्रकाशित किये जाने का प्रावधान है।

शैक्षणिक टूर (Academic Tour)

नियमित शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थी इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से समझ पाते है। महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। छात्रों को ऐतिहासिक स्थानों व आस–पास के प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों जैसे–आई०आई०टी० रूडकी, सी०बी०आर०आई० देहरादून एवं पतंजलि आदि स्थानों पर शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास है।

इको क्लब (ECO Club)

महाविद्यालय के छात्र–पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक हो, इस उद्देश्य से महाविद्यालय में इको क्लब स्थापित हुआ है जिसकी गतिविधियों में शिक्षक और छात्र मिलकर प्रतिभाग करते हैं।

सेमिनार कार्यक्रम (Seminar Programme)

महाविद्यालय में समय–समय पर सेमिनार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसका उद्देश्य छात्रों में नवीन तथ्यों पर ज्ञानात्मक एवं सामयिक विकास करना है।

– छात्रवृत्ति –

यू०जी०सी० स्कॉलरशिप–

मुख्य रूप से कॉलेज की स्तर की पढाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मेधावी और वंचित छात्र इन स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते है।

सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन्दिरा गाँधी स्कॉलरशिप योजना

- स्कॉलरशिप 30 वर्ष की अधिकतम सीमा के साथ सिर्फ छात्राओं को दी जाती है।
- आवेदक परिवार की सिंगल गर्ल चाइल्ड होनी चाहिये।
- आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में रेगुलर पी०जी० कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश होना आवश्यक है।

यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप

- छात्रों का स्नातक स्तर पर पहली या दूसरी रैंक धारक होना चाहिये तथा
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज में रेगुलर, मास्टर डिग्री कार्यक्रम में नामांकित होना चाहिये।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति

व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर के लिए रु० 1000 की राशि प्रतिमाह दी जाती है। राज्य सरकार की तरफ से कमज़ोर वर्ग (S.C. / S.T.) को मुफ्त कोचिंग सुविधा कॉलेज में उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति को प्रवेश के समय सामान्य वर्ग से कम शुल्क देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया।

– वेशभूषा (Dress) –

छात्र वर्ग– सफेद कमीज़, ग्रे कलर की पैन्ट, काले रंग का गर्म कोट और स्वेटर एवं काले जूते (शीतकाल में)

छात्रा वर्ग– सफेद कमीज, सफेद सलवार व ग्रे दुपट्टा, काले रंग का कार्डिगन या काले रंग गर्म कोट एवं काले जूते (शीतकाल में)

छात्र/छात्राओं द्वारा ड्रेस का पूर्णतया पालन किया जायेगा। ड्रेस में ना आने पर कक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। छात्राओं का महाविद्यालय में जीन्स पहनकर आना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

" मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग गया हो, उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है "

– आचार्य विनोबा भावे

– छात्र/छात्राओं हेतु सामान्य नियम –

1. छात्र/छात्रायें नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। कक्षा में विलम्ब से आने पर छात्र/छात्रा को कक्षा में प्रविष्ट नहीं होने दिया जायेगा।
2. छात्र/छात्राओं में सुचारू रूप से कार्य निर्वाह के लिए महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमों का पालन करना चाहिए।
3. एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय अथवा पीरियड आरम्भ होने के 3 मिनट के अन्दर सब छात्र/छात्रायें अपनी–अपनी कक्षाओं में बैठ जायें, जो छात्र/छात्रायें खाली है, वे पुस्तकालय में जायें अथवा उनके लिये जो स्थान नियत किया गया है, वहाँ बैठें।
4. कक्षा, कार्यालय अथवा मेन गेट के सामने घूमने या झुण्ड बनाकर बात करने से विघ्न पहुँचता है, अतः छात्र/छात्रायें इन स्थानों पर बिल्कुल भी खडे न हों यदि कोई छात्र/छात्रा इन स्थानों पर खडे या बातें करते पाये गये तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. छात्र/छात्रायें डाक अपने घर के पते पर ही मंगायें। प्राचार्य/प्राचार्या को डाक जांच करने का पूर्ण अधिकार है।
6. छात्र/छात्राओं का यह निजी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिदिन आवश्यक सूचनायें महाविद्यालय की वेबसाइट www.dhanauricollege.ac.in पर देखे तथा नोटिस बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढकर जायें यदि कोई छात्र/छात्रा नोटिस बोर्ड को नहीं पढते और मांगी गई सूचना नियत तिथि तक नहीं देते तो इसकी हानि का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। छात्र/छात्रायें प्राचार्य अथवा प्रोक्टर की बिना अनुमति के नोटिस बोर्ड पर कोई भी नोटिस लिखेंगे तो उन्हें दण्डित किया जायेगा।
7. छात्र/छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय में उपस्थित होना अपेक्षित है।
8. यदि छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए प्रशस्ति–पत्र भी दिया जायेगा तथा दक्ष प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।
9. यदि छात्र/छात्रा महाविद्यालय आते हैं और महाविद्यालय आकर विषय के व्याख्यान में उपस्थित नहीं होते तो उन्हें एक सप्ताह तक उस विषय की कक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
10. महाविद्यालय में प्राध्यापकों के निर्देशन में भाषण, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे अधिक से अधिक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनायें तथा बौद्धिक विकास का परिचय दें। जिस छात्र/छात्रा को जो कार्य सौंपा गया है इसे पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करेंगे। यदि कोई कठिनाई है तो वह प्राचार्य से परामर्श कर सकते हैं।
11. छात्र/छात्रा को जो सूचना प्राप्त करनी हो वह पहले चीफ़ प्रोक्टर से प्राप्त करें बाद में प्राचार्य से।
12. विद्यालय में पूर्ण अनुशासन रखना छात्र/छात्राओं का दायित्व होगा और इसमें तनिक भी लापरवाही अक्षम्य होगी।
13. शैक्षिक योग्यता के साथ सादगी के गुण और उत्तम विचारों की जागृति की ओर पूर्ण ध्यान दें।
14. छात्र/छात्रायें/अभिभावक कोई भी जानकारी कार्यालय में अथवा नोटिस बोर्ड पर भी देखे। फोन द्वारा सूचना प्राप्त न करें।
15. छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय में मोबाइल फोन लाना पूर्णतया वर्जित है। पकड़े जाने पर मोबाइल ज़ब्त कर लिया जायेगा तथा जुर्माना लिया जायेगा।

" सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। "

– स्वामी विवेकानन्द

- महाविद्यालय परिवार -

प्रो० सुमन पाल सिंह सिरोही
(प्राचार्य)

–: कला संकाय :–

शिक्षाशास्त्र विभाग
1. डॉ० अलका सैनी — सहायक आचार्य

अंग्रेजी विभाग
1. डॉ० अमित कुमार भगत — सहायक आचार्य
2. डॉ० बलविन्दर कौर — सहायक आचार्य
3. डॉ० रीना मिश्रा — सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग
1. डॉ० गुड्डी चमोली — सहायक आचार्य
2. डॉ० रोमा — सहायक आचार्य
3. डॉ० गौरव कुमार मिश्रा — सहायक आचार्य

अर्थशास्त्र विभाग
1. डॉ० सीमा — सहायक आचार्य
2. डॉ० संजीव कुमार — सहायक आचार्य

इतिहास विभाग
1. डॉ० सुनीता पासवान — सहायक आचार्य

गृह विज्ञान विभाग
1. डॉ० प्रियंका कुमारी — सहायक आचार्य

भूगोल विभाग
1. डॉ० विजय कुमार — सहायक आचार्य
2. डॉ० शान्ति सिंह — सहायक आचार्य
3. डॉ० आनन्द प्रकाश — सहायक आचार्य
4. डॉ० राहुल कुमार — सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग
1. डॉ० अरविन्द कुमार श्रीवास्तव — सहायक आचार्य
2. डॉ० कल्पना भट्ट — सहायक आचार्य

समाजशास्त्र विभाग
1. डॉ० शौर्यादित्य — सहायक आचार्य
2. डॉ० किरण — सहायक आचार्य

संस्कृत विभाग
1. डॉ० राकेश सिंह रावत — सहायक आचार्य

ड्राइंग एंड पेन्टिंग विभाग
1. डॉ० करिश्मा तोमर — सहायक आचार्य
2. सुश्री मोनिका रानी — सहायक आचार्य

–: विज्ञान संकाय :–

गणित विभाग
1. डॉ० प्रियंका शर्मा — सहायक आचार्य
2. डॉ० पुष्पा फर्सवाण — सहायक आचार्य
3. डॉ० अंकुर कुमार — सहायक आचार्य
4. डॉ० विनोद चन्द्रा — सहायक आचार्य

भौतिक विज्ञान विभाग
1. डॉ० संदीप कुमार — सहायक आचार्य
2. डॉ० निधि शर्मा — सहायक आचार्य
3. डॉ० सुशील कुमार — सहायक आचार्य
4. श्रीमती मोनिका मित्तल — सहायक आचार्य
5. डॉ० वरुण कुमार — सहायक आचार्य

जन्तु विज्ञान विभाग
1. डॉ० राखी बालियान — सहायक आचार्य
2. डॉ० रूचि शर्मा — सहायक आचार्य
3. डॉ० प्रियंका कुमारी — सहायक आचार्य
4. डॉ० प्रियंका — सहायक आचार्य
5. डॉ० नीलम सैनी — सहायक आचार्य

रसायन विज्ञान विभाग
1. डॉ० मोनिका वत्स — सहायक आचार्य
2. डॉ० अनुपमा — सहायक आचार्य
3. डॉ० प्रियंका त्यागी — सहायक आचार्य
4. डॉ० अंजलि सैनी — सहायक आचार्य
5. सुश्री कृष्णन बिष्ट — सहायक आचार्य
6. डॉ० प्रभात कुमार — सहायक आचार्य
7. डॉ० अर्पित सिंह — सहायक आचार्य

वनस्पति विज्ञान विभाग
1. डॉ० प्रीति राठौर — सहायक आचार्य
2. डॉ० हरीश रावत — सहायक आचार्य
3. डॉ० आकाश — सहायक आचार्य
4. डॉ० विश्वजीत सिंह — सहायक आचार्य

" शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत मीठा है। "

– अरस्तु

- महाविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारीगण -

लोक सूचना अधिकारी
प्रो० सुमनपाल सिंह सिरोही
(प्राचार्य)

सहायक लोक सूचना अधिकारी
डॉ० अलका सैनी

जन सम्पर्क अधिकारी
डॉ० अरविन्द कुमार श्रीवास्तव

मुख्य अनुशासनाधिकारी
डॉ० अलका सैनी

मीडिया प्रभारी
डॉ० प्रियंका कुमारी

कार्यक्रम अधिकारी (एन०सी०सी०)
डॉ० सुशील कुमार

कार्यक्रम अधिकारी (एन०एस०एस०)
डॉ० अमित कुमार भगत

कार्यक्रम अधिकारी (रोवर्स एंड रेंजर्स)
डॉ० प्रियंका शर्मा (कैप्टन)
डॉ० आकाश कुमार (मास्टर)

- महाविद्यालय शिक्षणेत्तर वर्ग -

पुस्तकालय

श्रीमती ईना देवी
(सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष)

कार्यालय

श्री रोशन भट्ट
(सहायक लेखाकार)

कनिष्क सहायक

1. रोहित कुमार
2. सचिन कुमार
3. श्रीमती संतोषी
4. वर्षा सैनी
5. राकेश सिंह मेहता

प्रयोगशाला

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री शरद चौधरी
2. श्री ब्रह्मस्वरूप
3. श्री गौरव सैनी
4. श्रीमती नूतन सैनी
5. कु० मनीषा शर्मा
6. श्रीमती रंजिता
7. श्री मनोज कुमार
8. श्रीमती खष्टी देवी
9. श्री दीपक कुमार
10. कु० पूजा नेगी
11. श्रीमती दीपिका द्विवेदी
12. कु० कोमल सैनी

" शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान दिया जाता है। "
– चाणक्य

- महाविद्यालय में गठित महत्वपूर्ण समितियाँ -

नैक समिति

1.	डॉ० एस०पी०एस० सिरोही	प्रभारी
2.	डॉ० प्रियंका कुमारी (गृह विज्ञान)	सदस्य
3.	डॉ० अमित कुमार भगत	सदस्य
4.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
5.	डॉ० रूचि शर्मा	सदस्य

आई०क्यू०ए०सी० समिति

1.	डॉ० एस०पी०एस० सिरोही	प्रभारी
2.	श्री आदेश कुमार सैनी	सदस्य प्रबन्ध समिति
3.	डॉ० प्रियंका कुमारी (गृह विज्ञान)	सदस्य
4.	डॉ० अमित कुमार भगत	सदस्य
5.	डॉ० संदीप कुमार	सदस्य
6.	डॉ० मोनिका वत्स	सदस्य
7.	सुश्री कृष्णन बिष्ट	सदस्य

एन०सी०सी० समिति

1.	डॉ० सुशील कुमार	प्रभारी

एन०एस०एस० समिति

1.	डॉ० अमित कुमार भगत	प्रभारी
2.	डॉ० सीमा पंत	सदस्य

स्काऊट गाईड समिति

1.	डॉ० प्रियंका शर्मा	कैप्टन
2.	डॉ० आकाश	मास्टर

कैरियर काउंसलिंग एण्ड प्लेसमेंट

1.	डॉ० रूचि शर्मा	प्रभारी
2.	डॉ० अनुपमा	सदस्य

स्किल डेवेलपमेंट

1.	डॉ० रीना मिश्रा	प्रभारी
2.	डॉ० प्रीति राठौर	सदस्य

छात्र संघ चुनाव सत्र 2022–23 समिति

1.	डॉ० हरीश रावत	प्रभारी

डिजिटलाईज़ेशन समिति

1.	डॉ० निधि शर्मा	प्रभारी
2.	डॉ० विश्वजीत सिंह	सदस्य
3.	डॉ० मोनिका वत्स	सदस्य

पर्यावरण जागरुकता समिति

1.	डॉ० अलका सैनी	प्रभारी
2.	डॉ० संदीप कुमार सैनी	सदस्य
3.	डॉ० राखी बालियान	सदस्य
4.	डॉ० प्रियंका नेगी	सदस्य
5.	डॉ० आकाश	सदस्य

एंटी रैगिंग सेल

1.	डॉ० हरीश रावत	प्रभारी
2.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
3.	डॉ० प्रियंका मलिक	सदस्य
4.	डॉ० अनुपमा	सदस्य

महिला उत्पीड़न निषेध समिति

1.	डॉ० सुनीता पासवान	प्रभारी
2.	डॉ० बलविन्दर कौर	सदस्य
3.	डॉ० नीलम सैनी	सदस्य
4.	डॉ० अंजलि सैनी	सदस्य
5.	डॉ० प्रीति राठौर	सदस्य

अनुशासनात्मक मण्डल

1.	डॉ० अलका सैनी	चीफ प्रॉक्टर
2.	प्रियंका कुमारी	प्रॉक्टर
3.	प्रियंका शर्मा	प्रॉक्टर
4.	संदीप कुमार	प्रॉक्टर
5.	हरीश रावत	प्रॉक्टर
6.	विश्वजीत सिंह	प्रॉक्टर

एस०सी० / एस०टी० सेल

1.	डॉ० सुनीता पासवान	प्रभारी
2.	डॉ० अंकुर कुमार	सदस्य
3.	डॉ० विनोद चन्द्रा	सदस्य

अकादमी गतिविधि समिति

1.	डॉ० प्रियंका त्यागी	प्रभारी
2.	सुश्री कृष्णन बिष्ट	सदस्य
3.	डॉ० मोनिका वत्स	सदस्य

पुस्तकालय समिति

1.	डॉ० निधि शर्मा	प्रभारी
2.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
3.	डॉ० प्रियंका त्यागी	सदस्य

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

1.	डॉ० रूचि शर्मा	प्रभारी
2.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
3.	डॉ० प्रीति राठौर	सदस्य
4.	डॉ० नीलम सैनी	सदस्य
5.	श्रीमती मोनिका मित्तल	सदस्य
6.	डॉ० रीना मिश्रा	सदस्य

क्रीड़ा समिति

1.	डॉ० सीमा पंत	प्रभारी (महिला वर्ग)
2.	डॉ० विनोद चन्द्रा	प्रभारी (पुरुष वर्ग)
3.	डॉ० अंकुर कुमार	सदस्य
4.	सुश्री कृष्णन बिष्ट	सदस्य

परीक्षा समिति

1.	डॉ० अलका सैनी	प्रभारी
2.	डॉ० प्रियंका कुमारी (गृह विज्ञान)	सदस्य
3.	डॉ० निधि शर्मा	सदस्य
4.	डॉ० प्रियंका शर्मा	सदस्य
5.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
6.	डॉ० संदीप कुमार	सदस्य
7.	डॉ० बलविन्दर कौर	सदस्य
8.	डॉ० नीलम सैनी	सदस्य
9.	डॉ० विजय कुमार	सदस्य

रिसर्च एवं इनोवेशन सेल

1.	डॉ० प्रियंका त्यागी	प्रभारी
2.	सुश्री कृष्णन बिष्ट	सदस्य

प्रवेश समिति

1.	डॉ० अलका सैनी	प्रभारी
2.	डॉ० प्रियंका कुमारी	सदस्य
3.	डॉ० निधि शर्मा	सदस्य
4.	डॉ० प्रियंका शर्मा	सदस्य
5.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य
6.	डॉ० बलविन्दर कौर	सदस्य

एन.ई.पी. समिति

1.	डॉ० प्रियंका कुमारी	प्रभारी
2.	डॉ० निधि शर्मा	सदस्य
3.	डॉ० प्रियंका शर्मा	सदस्य

सामाजिक सेवा समिति

1.	डॉ० एस.पी.एस. सिरोही	संयोजक
2.	डॉ० संदीप कुमार	समन्वयक
3.	डॉ० अलका सैनी	सदस्य
4.	डॉ० प्रियंका शर्मा	सदस्य
5.	डॉ० सुशील कुमार	सदस्य

रोजगार मेला एवं भ्रमण समिति

1.	डॉ० मोनिका वत्स	प्रभारी
2.	डॉ० प्रियंका त्यागी	सदस्य
3.	डॉ० प्रियंका कुमारी (जन्तु विज्ञान)	सदस्य

शिकायत प्रकोष्ठ

1.	डॉ० बलविन्दर कौर	प्रभारी
2.	डॉ० सुनीता पासवान	सदस्य
3.	डॉ० संदीप कुमार	सदस्य
4.	डॉ० प्रियंका शर्मा	सदस्य
5.	दिनेश कुमार (छात्र संघ अध्यक्ष)	(छात्र प्रतिनिधि)
6.	खुशी सैनी (छात्र–संघ सह सचिव)	(छात्रा प्रतिनिधि)

छात्र कल्याण समिति

1.	डॉ० ए.के. श्रीवास्तव	प्रभारी
2.	डॉ० विजय कुमार	सदस्य
3.	डॉ० प्रभात कुमार	सदस्य

रेड रिबन क्लब (आर.आर.सी.)

1.	डॉ० सीमा पंत	प्रभारी
2.	डॉ० प्रियंका कुमारी (जन्तु विज्ञान)	सदस्य
3.	डॉ० राहुल कुमार	सदस्य
4.	डॉ० संजीव कुमार	सदस्य

" अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो "

– डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

शैक्षणिक कलैण्डर 2023–24

कार्यक्रम	दिनांक
• प्रवेश पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	25-5-2023
• प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि	24-6-2023
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं प्रथम सेमेस्टर (बी०ए० / बी०एससी०) प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश	
• शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	07-07-2023
• शैक्षिक सत्र प्रारम्भ की तिथि	10-07-2023
बी०ए० / बी०एससी०) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष / वार्षिक पाठ्यक्रम/तृतीय/पंचम एवं सप्तम (विषम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश)	
• प्रवेश की अन्तिम तिथि	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के अन्तर्गत
• शिक्षण कार्य प्रारम्भ	विश्वविद्यालय द्वारा
• आन्तरिक परीक्षायें	निर्धारित तिथि अनुसार
• मुख्य परीक्षा तिथि – बी०ए०/बी०एससी०–प्रथम सेमेस्टर	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार
• (विषम सेमेस्टर) तिथियां विश्वविद्यालय के आदेशाधीन हैं।	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित सम सेमेस्टर	
• शिक्षण कार्य प्रारम्भ	विश्वविद्यालय द्वारा
• आन्तरिक परीक्षा तिथि	निर्धारित तिथि अनुसार
• मुख्य परीक्षा तिथि	
प्रायोगिक / मौखिक परीक्षाएं –	
• विषम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा प्रारम्भ तिथि	विश्वविद्यालय द्वारा
• सम सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा प्रारम्भ तिथि	निर्धारित तिथि अनुसार

मुख्य दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैक मुक्त दिवस	3 जुलाई
विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
विश्व रेंजर्स दिवस	31 जुलाई
विश्व युवा दिवस	12 अगस्त
स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त
राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त
शिक्षक दिवस	5 सितम्बर
हिन्दी दिवस	14 सितम्बर
अर्न्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितम्बर
नेशनल सर्विस स्कीम दिवस	24 सितम्बर
गाँधी दिवस	2 अक्तूबर
राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्तूबर
राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस	25 नवम्बर
राष्ट्रीय संविधान दिवस	26 नवम्बर
अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस	10 दिसम्बर
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	14 दिसम्बर
राष्ट्रीय गणित दिवस	22 दिसम्बर
विश्व हिन्दी दिवस	10 जनवरी
सड़क सुरक्षा सप्ताह	11 से 17 जनवरी
राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी
गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
विश्व जल दिवस	12 मार्च
विश्व क्षय दिवस	24 मार्च
विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
आयुष्मान भारत दिवस	30 अप्रैल
अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस	1 मई
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस	22 मई
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून

" शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता हैं "

– डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

– शुल्क विवरण –

कला वर्ग

स्नातक (बी०ए०)	छात्र	छात्रा
बी०ए० प्रथम वर्ष	3225/- 3525/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)	3025/- 3325/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)
बी०ए० द्वितीय वर्ष	3225/- 3525/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)	3025/- 3325/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)
बी०ए० तृतीय वर्ष	3225/- 3525/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)	3025/- 3325/- (प्रयोगात्मक विषय सहित)

स्नातकोत्तर (एम०ए०)

एम०ए० प्रथम वर्ष	3825/-
एम०ए० द्वितीय वर्ष	3825/-

विज्ञान वर्ग

स्नातक (बी०एस सी०)	छात्र	छात्रा
बी०एस सी० प्रथम वर्ष	3925/- (**PCM**) 4125/- (**CBZ**)	3725/- (**PCM**) 3925/- (**CBZ**)
बी०एस सी० द्वितीय वर्ष	3925/- (**PCM**) 4125/- (**CBZ**)	3725/- (**PCM**) 3925/- (**CBZ**)
बी०एस सी० तृतीय वर्ष	3925/- (**PCM**) 4125/- (**CBZ**)	3725/- (**PCM**) 3925/- (**CBZ**)

स्नोतकोत्तर (एम०एस सी०)

एम०एस सी० प्रथम वर्ष	4825/- (**PCZB**)	4425/- (**M**)
एम०एस सी० द्वितीय वर्ष	4825/- (**PCZB**)	4425/- (**M**)

नोट : 1. उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित शुल्क वार्षिक है। सेमेस्टर कक्षाओं के लिए शुल्क प्रति सेमेस्टर देय होगा, जिसमें वार्षिक शुल्क का आधा शुल्क प्रथम सेमेस्टर में तथा शेष आधा शुल्क द्वितीय सेमेस्टर में देय होगा।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से देय करना होगा।

3. यदि सत्र के मध्य में विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क बढ़ाया जाता है तो वह छात्र/छात्रा द्वारा देय होगा।

4. जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं होगा।

" मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता भी उतना ही नेक हो "

– डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

नई शिक्षा नीति–2020

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल के पत्रांक सं० 3137/SDSUV/प्रशासन/दिनांक 2022 के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश किये जायेंगे।

नई शिक्षा नीति–

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्व में आई। शिक्षा नीति में यह बदलाव कुल 34 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया है।

पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केन्द्रित थी। विद्यार्थियों का आंकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहु–विषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिता पर केन्द्रित है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है।

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ–साथ जिस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है, जहाँ वह रूचि रखता है। इस तरह से सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान करना किया जाना है यानि उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर जोर दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. **बहुविषयकता–**

भारत में अन्य शिक्षा विषय विशेषज्ञों के निर्माण पर केन्द्रित है लेकिन नई शिक्षा नीति इन सीमाओं को तोड़ने का प्रस्ताव करती है।

उदाहरण– बी–टेक के छात्र अब खुद को अपनी इंजीनियरिंग शाखा तक सीमित नही रखेंगे। इसके बजाये उनके कार्यक्रमों में कला और मानविकी का अधिक महत्वपूर्ण घटक होगा। नीति में कहा गया है 'कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे और सभी व्यावसयिक विषयों और साफ्ट स्किल्स को शामिल करने का प्रयास करेंगे।''

2. **4 वर्षीय U.G. कार्यक्रम**

NEP के तहत स्नातक की डिग्री इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्पों के साथ 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी।

एक वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री देना अनिवार्य होगा। 4 वर्ष पूरा करने के बाद रिसर्च की डिग्री मिलेगा। B.Ed चार वर्ष का होगा।

3. **नई शिक्षा नीति 2022 स्ट्रीम–**

छात्र/छात्राओं को अब किसी एक स्ट्रीम का चुनाव नहीं करना होगा।

नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा गया है।

4. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट–**

सरकार विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी स्थापित करेगी ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अर्जित अन्तिम डिग्री के लिए गिना जा सके।

उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों द्वारा पढ़े गए पाठ्यक्रमों के लिए अर्जित क्रेडिट को डिजिटल रूप में जमा करेंगे।

5. **राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा–**

छात्रों को कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपस्थित नही होना पडेगा।

N.T.A. अधिकांश विश्वविद्यालयों को एक सामान्य प्रवेश परीक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम बनायेगी।

6. **छात्रों के लिए वित्तीय सहायता–**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग और अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह से सम्बन्धित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जायेंगे। निजी एच०ई०आई० को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में आर्थिक प्रोत्साहन और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय 10% आरक्षण दिया जायेगा। इसके लिए छात्र–छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में N.C.C. तथा N.S.S. Course सम्मिलित होगा।

निष्कर्ष :

वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

" जो बात सिद्धान्त में गलत है वह बात व्यवहार में भी सही नहीं है। "

– डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना को वर्तमान सत्र 2023–24 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

विद्यार्थी को प्रवेश के समय पर संकाय (कला और विज्ञान) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से षष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। तीसरे मुख्य विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

Faculty of Arts

- Hindi
- English
- Sanskrit
- Economics
- Education
- Drawing & Painting
- Geography
- History
- Home Science
- Political Science
- Sociology

पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

Group - A	Group - B	Group - C	Group - D	Group - E	Group - F
• English Literature • Sanskrit Literature	• Drawing and Painting • Economics • Home Science	• Geography • History	• Education • Sociology	• Hindi Literature	• Political Science

Faculty of Science

List of Major Subjects

- Physics
- Chemistry
- Mathematics
- Botany
- Zoology

- Biology Groups -

Group - A	Group - B	Group - C
• Botany	• Zoology	• Chemistry

- Mathematics Groups -

Group - A	Group - B	Group - C
• Mathematics	• Physics	• Chemistry

गौण चयनित अर्थात माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Papers)

सामान्य निर्देश :

1. माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।
2. माइनर इलेक्टिव विषय किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
3. बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय के रूप में (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।

" शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। "

– डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

National Science Day
2023

पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम

धनौरी पी. जी. कॉलेज, धनौरी (हरिद्वार)